न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः– 05 / 15 — दायरा दिनांक :– 24.11.2015

आर.सी.एम.एस. नम्बर – 2016 / 00031

पीठासीन अधिकारी :– श्री हीरालाल वर्मा (आर.ए.एस.)

उनवान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

धारासिंह पुत्र कश्मीरसिंह जाति बंजारा निवासी बकनपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)

– अपीलान्ट

बनाम

गोपाल पुत्र गुलाब जाति बंजारा निवासी जगदेवपुरा, तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)

– रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

श्री एम.आई.खान – अपीलान्ट।

श्री घनश्याम गर्ग अभिभाषक – रेस्पोडेन्ट।

अपील बनाराजगी फैसला दिनांक 21.09.2015 व अदालत तहसीलदार किशनगंज बउनवान गोपाल बनाम धारासिंह कार्यवाही 183(बी) आर.टी.एक्ट. मि0 नं. 30 बाबत्।

निर्णय — दिनांक :– 28.06.2019

अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगंज के निर्णय दिनांक 21.09.2015 प्रकरण संख्या 30 / 15 उनवान गोपाल बनाम धारासिंह अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट. की अपील इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं साक्ष्यो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर अपील उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलान्ट को ग्राम जगदेवपुरा तहसील किशनगंज की आराजी खसरा नम्बर 26 / 10 रकबा 5.00 बीघा पर अपीलान्ट का नाजायज कब्जा मानकर अपीलान्ट को बेदखल करने का आदेश किया है, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलान्ट यह अपील पेश करता है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय देने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है तथा मानमाने ढंग से विधि विरूद्ध उक्त निर्णय पारित किया है जो न्याय के स्वीकृत सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र हल्का पटवारी, रंजिस पूर्ण रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलान्ट का नाजायज कब्जा माना है तथा कोई स्वतन्त्र साक्ष्य नहीं ली गई है ना ही मौके पर जाकर मौका देखा गया है ना ही हल्का पटवारी के बयान लेखवत किये हैं। ना रिपोर्ट को साक्ष्य में प्रदर्श किया है, अतः निर्णय निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने रेस्पोडेण्ट की आराजी पर कोई कब्जा नहीं किया है बल्की आपीलान्ट वन भूमि की आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है तथा मौके पर जाके रेस्पोडेण्ट की भूमि की पैमाईश भी नहीं करवाई गयी है तथा न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में सुनाया गया है।

विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सूनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये, कथन किया कि अपील ही बहस है। नियमानुसार मैरिट पर डिसाईड कर दिया जावे। विद्वान वकील रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट आवंटन के बाद से खातेदार है। अपीलान्ट ने ऐसा

कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे इनका कब्जा साबित होता है। मौके पर अपीलान्ट के आवंटन के समय से कब्जा है, 2015 में हमारी भूमि पर कब्जा किया तो तहसीलदार ने 183 (बी) आर.टी.एक्ट में कार्यवाही की। उक्त भूमि सिलिंग सिवायक भूमि थी, राजस्व रिकार्ड पेष नहीं किया है। वकील अपीलान्ट ने कहा कि आवंटी का आज तक कब्जा नहीं रहा है। सदैव से अपीलान्ट का कब्जा रहा है, बंजारा की जमीन है, सहरियों को नहीं बैठा सकते आज भी अपीलान्ट का कब्जा है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान वकील अपीलान्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया गया है जो न्याय के स्वीकृत सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 में ग्राम जगदवेपुरा की आराजी खसरा नम्बर 26/10 रकबा 5.00 बीघा रेस्पोडेण्ट गोपाल पुत्र गुलाब बंजारा सा0 देह के नाम खातेदारी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट पटवारी हल्का से स्पष्ट है कि खसरा नं. 26/10 में 5.00 बीघा में अपीलान्ट धारासिंह का नाजायज कब्जा काश्त होना बताया हैं। रेस्पोडेण्ट की जाति बंजारा है जो एस.सी./एस.टी. की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलान्ट व रेस्पोडेण्ट दोनों बंजारा जाति के हैं। रेस्पोडेण्ट अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का नहीं है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर पारित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित प्रतीत नही होता है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है और तहसीलदार किशनगंज के द्वारा दिया गया फैसला अपास्त किया जाता है। न्यायालय में निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तदनुसार कार्यवाही हेतु वापिस भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)